रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

104

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 275] नई दिल्ली, सोमवार, जून 24, 1974/आषाढ़ 3, 1896

No. 275] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 24, 1974/ASADHA 3, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Cabinet Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June 1974

S.O. 381(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and fourth Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Second Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961;—

(A) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)",—

(i) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE (KRISHI VIBHAG)",

(a) entries 11A and 11B shall be omitted;

(b) after entry 13B, the following entries shall be inserted, namely:—

"13C. Coordination of relief measures necessitated by drought, scarcity or famine.

13D. Matters relating to loss of human life due to drought, scarcity or famine.";

(c) entries 42 and 43 shall be omitted;

(ii) under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF FOOD (KHADYA VIBHAG)", entries 6A and 6B shall be omitted;

(iii) under the sub-heading "C. DEPARTMENT OF COMMUNITY DEVELOPMENT (SAMUDAYIK VIKAS VIBHAG)", after entry 6 the following entry shall be inserted, namely:—

"6A. Hill Areas Development Programme.";

(iv) under the sub-heading "D. DEPARTMENT OF COOPERATION (SAHKARITA VIBHAG)",

(a) for entry 1, the following entry shall be substituted, namely:—

"1. Agricultural Credit and indebtedness.";

(b) after entry 7 and before the Note, the following entries shall be inserted, namely:—

"8. Agricultural markets and marketing and merchandise marks under the Agriculture produce (Grading and Marking) Act.

9. Refrigeration and Cold Storage facilities for fish, potatoes, fruit and other similar commodities.

10. Matters relating to Directorate of Marketing and Inspection.";

(B) under the heading "MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)" for entries 32 and 43 the following entries shall respectively be substituted, namely:—

"32. Intelligence Bureau, Coordination Wing, Central Forensic Science Laboratory, New Delhi, and Central Finger Print Bureau of the Central Bureau of Investigation.

43. Matters relating to the National Police Academy, the Central Detective Training School, the Bureau of Police Research and Development, the National Civil Defence College and the National Fire Service College.";

(C) under the heading "MINISTRY OF LABOUR (SHRAM MANTRALAYA)",

(i) for entry 2, the following entry shall be substituted, namely:—

"2. In respect of docks—regulation of safety, health and welfare measures concerning dock labour.";

(ii) for entry 23, the following entry shall be substituted, namely:—

"23. Administration of the Indian Dock Labourers Act, 1934 and the Regulations made thereunder and the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Scheme, 1961 framed under the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948.";

(D) under the heading "MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (NAUWAHAN AUR PARIWAHAN MANTRALAYA)", after entry 24, the following entry shall be added, namely:—

"25. Administration of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 and the Schemes framed thereunder other than the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Scheme, 1961.".

V. V. GIRI,
President.

[No. 74/2/2/74-CF]
J. S. MONGIA, Jt. Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय

(मंत्रिमंडल कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 1974

सा० आ० 381 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (104 वां संशोधन) नियम, 1974 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में:—

(क) "कृषि मंत्रालय" शीर्ष के नीचे:—

(i) "क कृषि विभाग" उपशीर्ष के नीचे,

(क) 11 क और 11 ख प्रविष्टयों का लोप किया जाएगा;

(ख) प्रविष्टि 13 ख के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात :—

13 ग सूखा, कमी या अकाल द्वारा आवश्यक हुए अनुतोष उपायों का समन्वय।

13 घ सूखा, कमी या अकाल के कारण जन-जीवन को हानि से संबंधित मामले।";

(ग) प्रविष्टि 42 और 43 का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपशीर्ष "ख खाद्य विभाग" उपशीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 6 क और 6 ख का लोप किया जाएगा ,

(iii) उपशीर्ष "ग सामुदायिक विकास विभाग" के नीचे, प्रविष्टि 6 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात:—

" 6 क पहाड़ी क्षेत्र विकास प्रोग्राम।";

(i) उपशीर्ष "सहकारिता" के नीचे,

(क) प्रविष्टि 1 के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:—

"1. कृषि उधार और ऋणिता।";

(ख) प्रविष्टि 7 के पश्चात् टिप्पण के पूर्व , निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्त:-स्थापित की जाएंगी, अर्थात:—

"8. कृषि उत्पादन (श्रेणीकरण और चिन्हीकरण) अधिनियम के अधीन "कृषि बाजार और क्रय विक्रय और वाणिज्या चिन्ह।

9. मछली, फल अन्य समरूप वस्तुओं के लिए रेफ्रिजरेशन और ठंडे स्टोरों को सुविधाएं।

10. क्रय विक्रय और निरीक्षण निदेशालय से संबंधित मामले।" ;

(ख) शीर्ष "गृह मंत्रालय" के नीचे, प्रविष्टि 32 और 43 के लिए क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"32. खुफिया ब्यूरो, समन्वय विंग, केन्द्रीय न्याय-संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला, नई दिल्ली और केन्द्रीय खुफिया ब्यूरो का केन्द्रीय अंगुली छाप ब्यूरो।

43. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, केन्द्रीय खुफिया प्रशिक्षण स्कूल, पुलिस अनुसन्धान और विकास ब्यूरो, राष्ट्रीय सिविल प्रतिरक्षा कालेज और राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा कालेज से संबंधित मामले।";

(ग) शीर्ष "श्रम मंत्रालय" के नीचे,

(i) प्रविष्टि 2 के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"2. पत्तन के बारे में—पत्तन श्रम से संबंधित सुरक्षा स्वास्थ्य कल्याण उपायों का विनियमन।";

(ii) प्रविष्टि 23 के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"23. भारतीय पत्तन श्रम अधिनियम, 1934 का प्रशासन और तद्धीन बनाए विनियम और पत्तन कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 के अधीन निर्मित पत्तन कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) स्कीम।";

(घ) शीर्ष 'नौवहन और परिवहन मंत्रालय" के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"25. पत्तन कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 का प्रशासन और पत्तन कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) स्कीम, 1961 से अन्यथा तद्धीन निर्मित स्कीम।"।

व० वें० गिरि,
राष्ट्रपति।

[सं० 74/2/2/74-सी० एफ०]

जगजीत सिंह मोंगिया, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974